

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा –प्रथम) म.प्र. ग्वालियर

कार्यालय वाहन स्टैण्ड ठेका हेतु निविदा आमंत्रण दिनांक 26.2.2023 अप. 2.00 बजे तक

निविदा फार्म

मुझे ऑडिट भवन परिसर के कार्यालय के वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु ठेके की शर्तें मान्य हैं । मैं वाहन स्टैण्ड ठेके के लिये वार्षिक रूपये (अंको में) (शब्दों में) कार्यालय को दूंगा । वाहन स्टैण्ड से संबंधित किसी भी शिकायत के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा । इस संबंध में अनुबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक दण्ड मुझे मान्य होगा ।

संलग्न:- बैंकड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक क्रमांक

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम:-

पूरा पता:-

मोबाईल नं-

दूरभा-नं-

गवाह के हस्ताक्षर

नाम:-

पूरा पता:-

मोबाईल नं-

दूरभा-नं-

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) म.प्र. ग्वालियर

क्रमांक/कल्याण शाखा/वाहन स्टैण्ड/ जावक-31

दिनांक:-14.2.2023

वाहन स्टैण्ड ठेका हेतु निविदा आमंत्रण

"आडिट भवन" परिसर में कार्यालय का वाहन स्टैण्ड का ठेका एक साल की अवधि हेतु अनुबंध पर संचालित करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता कार्यालय से कार्यदिवस को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य ₹ 100/- भुगतान कर निविदा प्रपत्र प्राप्ति उपरान्त पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 26.2.2023 को अप. 2.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर/स्वयं द्वारा जमा कर सकते हैं। वाहन स्टैण्ड पर वसूली योग्य राशि साईकिल धारक से रूपये 11/- प्रतिमाह तथा दैनिक साइकल धारक आगन्तुकों से रूपये 1/- प्रतिदिन, दो पहिया एवं चार पहिया वाहन धारको से रूपये 22/- प्रतिमाह तथा दैनिक आगन्तुको से रूपये 2/- प्रतिदिन होगी।

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी
कल्याण शाखा

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा –प्रथम) म.प्र. ग्वालियर

वाहन स्टैण्ड ठेका हेतु निविदा आमंत्रण

कार्यालय "आडिट भवन" परिसर में वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु दिनांक 1.3.2023 से एक वर्ग के लिये ठेका देना चाहता है जिसके लिये इच्छुक व्यक्तियों से उनकी सील बंद दरें निर्धारित निविदा फार्म में स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कोरियर/स्वयं द्वारा श्री जितेन्द्र तिवारी, वरि.उप महालेखाकार (प्रशासन) के नाम से दिनांक 26.2.2023 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदाये स्वीकार नहीं की जावेंगी। प्राप्त उक्त निविदायें दिनांक 27.2.2023 को साय: 3.00 बजे खोली जावेंगी। निविदा के साथ बयाना राशि के रूप में रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का किसी भी अधिसूचित बैंक का बैकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम)म.प्र. ग्वालियर के नाम देय हो संलग्न करना होगा। बिना बयाना राशि के प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा/ठेके के नियम-शर्तें

1. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध करने से पूर्व प्रतिभूति राशि रूपये 30,000/- की किसी भी अधिसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद जो प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम) म.प्र. ग्वालियर के पक्ष में 12 माह की अवधि हेतु बनवाकर प्रस्तुत करना होगी तथा रूपये 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध नि-पादित करना होगा।
2. एक बार की गई निविदा, निविदाकार द्वारा वापस नहीं ली जा सकेगी तथा निविदा स्वीकृति की सूचना इस कार्यालय द्वारा जारी किये जाने के पश्चात निविदाकार ठेका लेने इंकार नहीं कर सकेगा अथवा कोई शर्त नहीं रख सकेगा। उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में निविदा के साथ जमा की गई बयाना राशि रूपये 25,000/- राजसात कर ली जायेगी।
3. ठेका सैद्धान्तिक क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि एक मुश्त वार्षिक रकम जो मासिक आधार पर अग्रिम के रूप में तथा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगी, के आधार पर दिया जायेगा। प्रत्येक माह का अग्रिम किराया (1/12 प्रतिमाह) माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा। उक्त नियत तिथि तक अग्रिम किराये की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन की दर से अधिभार चुकाना होगा। एक माह का अग्रिम किराया एक माह के अन्दर अधिभार सहित न देने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है, तथा ठेकेदार की जमा राशि भी राजसात की जा सकती है।
4. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार कार्यालय परिसर को तत्काल खाली कर देगा, ऐसा न करने पर ठेकेदार की खिलाफ सरकारी -स्थान अधिनियम 1971 के अन्तर्गत बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।
5. वाहनो की देखरेख के अतिरिक्त ठेकेदार किसी अन्य प्रयोजन के लिये वाहन स्टैण्ड या कार्यालय परिसर का कोई भाग प्रयोग नहीं करेगा न ही इसका कोई भी भाग अन्य व्यक्ति का किसी उद्देश्य से उप किरायेदारी पर देगा। यदि किसी भी अवसर पर ठेकेदार ऐसा करता पाया गया तो ठेके की

प्रतिभूति राशि जब कर तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा ।

6. ठेकेदार को आडिट भवन में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली योग्य पार्किंग प्रभार निम्नलिखित दरों से वसूल करने का हक होगा ।
 - (क) साईकिल - रुपये 11 प्रति साईकिल प्रति माह ।
 - (ख) मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल/कार - रुपये 22 प्रतिमाह (हैलमेट सहित) वाहन में हैलमेट लॉक करने पर ।
7. ठेकेदार कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रत्येक माह में प्रथम पांच कार्य दिवस के अन्दर मासिक पार्किंग प्रभार ले सकता है ।
8. वाहन (मोपेड/स्कूटर/मोटरसाईकिल/कार) में आने वाले बाहरी आगन्तुकों से रुपये 2/- (दो रुपये मात्र) तथा साईकिल के एक रुपये प्रतिवाहक प्रतिदिन से अधिक वसूल नहीं किए जायेंगे । कार्यालय में सरकारी डाक लगाने वाले डाक वाहक एवं दूरभाष कर्मचारी इस वसूली से मुक्त रखे जावेंगे ।
9. हैलमेट की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु स्कूटर/मोटर साईकिल में लॉक न करते हुए अलग से रखने पर मासिक दर रुपये 7/ (सात रुपये मात्र) प्रतिमाह तथा आकस्मिक ग्राहकों से एक रुपया प्रतिदिन प्रति हैलमेट से अधिक वसूल नहीं किए जायेंगे यह राशि उपरोक्त कम संख्या 6 के मद क्रमांक (ख) में दिखाए गए प्रभारों के अतिरिक्त होगी ।
10. कार्यालय में आने वाले प्रतिदिन अधिकतम वाहनों की संख्या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय परिसर तथा उसमें निर्मित स्टैण्ड पर देखा जा सकती है ।
11. ठेकेदार द्वारा वसूली योग्य पार्किंग प्रभार प्राप्त कर वाहन धारक को नम्बर एवं दिनांक की छपी हुई रसीद जारी करनी होगी । यह प्रतिदिन आने वाले आगन्तुकों पर भी लागू होगा ।
12. ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड, जिसमें कार्यालय परिसर भी सम्मिलित है, में प्रमुख स्थानों पर वसूली की दरें प्रदर्शित करनी होगी ।
13. ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड का संचालन प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से सायं 6.30 बजे तक करना होगा ।
14. कार्यालय परिसर के किसी भी स्थान से पार्किंग प्रभार जमा वाहन खो जाने पर ठेकेदार वाहन की भरपाई हेतु मुआवजा राशि देने के लिए जिम्मेदार होगा । मुआवजा राशि का निर्धारण कार्यालय प्रशासन द्वारा किया जायेगा एवं निर्णय के बाद मुआवजे की राशि का भुगतान वाहन स्टैण्ड ठेकेदार द्वारा एक सप्ताह के अन्दर करना होगा ।
15. समस्त कर्मचारियों को प्रतिदिन टोकन देने होंगे । ये टोकन क्रमवार संख्या दर्शाते हुए होना चाहिए जो ठेका शुरू होने से पहले प्रशासन को दिखाने होंगे ।
16. वाहन का टोकन खो जाने पर ठेकेदार उचित सत्यापन करके कर्मचारी को वाहन ले जाने देगा ।
17. वाहन स्टैण्ड पर खड़े वाहनों से पूर्णों की चोरी या तोडफोड तथा पेट्रोल की चोरी आदि से बचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ठेकेदार द्वारा इसका सही निर्वहन न करने पर इस सम्बन्ध में मुआवजे की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी ।
18. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों को इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों व बाहरी आगन्तुकों से मधुर व्यवहार रखना होगा । अभद्र व्यवहार की शिकायत पर ठेकेदार के खिलाफ

- प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी जिसका परिणाम ठेके को तुरंत प्रभाव से समाप्त करना तथा प्रतिभूति एवं अग्रिम मासिक जमा राशि का जप्त किया जाना हो सकता है ।
19. ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड पर हवा भरने हेतु निजी कम्प्रेसर अनुबंध से पूर्व उपलब्ध कराना होगा ।
 20. किसी भी निविदा को या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने या किसी भी निविदा का बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार वरि.उप महालेखाकार (प्रशासन) को होगा तथा इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।
 21. ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें, कि वाहन निर्धारित स्टैण्ड के अलावा कार्यालय परिसर में अन्यत्र कहीं भी न रखे जावें । वाहनों की पार्किंग हेतु कारों एवं दुपाहिया वाहनों हेतु नियत स्थान है साथ ही कारों की पार्किंग हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रथक नियत स्थान है ।
 22. ठेकेदार को परिसर में वाहनों की समुचित पार्किंग एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी जिसके लिये पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी तथा अपने कर्मचारियों की सूची पते एवं उनके फोटो कार्यपालन-शाखा में जमा करानी होगे । यदि कोई कर्मचारी कार्य से हटाया जाता है तो उसकी सूचना कल्याण शाखा अनुभाग को देना अनिवार्य होगा । ठेकेदार द्वारा ऐसा न करने पर धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी ।
 23. कार्यालय परिसर में स्थित बैंक, पोस्ट ऑफिस, सी.पी.डब्ल्यू.डी. दूरसंचार एवं प्राथमिक चिकित्सालय के कर्मचारियों एवं बैंक पोस्ट ऑफिस में आने वाले आगंतुको से कोई राशि वसूल नहीं की जा सकेगी ।
 24. आडिट भवन में शासकीय कार्य से आने वाले वाहनों एवं शासकीय वाहन से कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
 25. आडिट भवन में कार्यरत, कर्मचारियों को छोड़ने एवं लेने आने वाले व्यक्तियों/वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
 26. कार्यालय परिसर से बाहर खड़ी गाडिया निविदा की शर्तों से मुक्त रहेगी ।
 27. पानी एवं विद्युत व्यय यदि कोई हो ठेकेदार को वहन करना होगा ।
 28. ठेके की अवधि में ठेके सम्बन्धी विवादों के निराकरण हेतु वरि.उप महालेखाकार (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
 29. वाहन स्टैण्ड के ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में अवधि को अगले वर्ष बढ़ाने का अधिकार वरि.उप.महालेखाकार/प्रशासन को होगा ।
- उपरोक्त सभी शर्तों के पालन में उल्लंघन की दशा में वरि.उप-महालेखाकार (प्रशासन) का दिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

हस्ता /—
वरि-ठ लेखा परीक्षा अधिकारी
कल्याण शाखा